

a fresh licence under Industries (Dev. & Reg.) Act, 1951 subject to certain conditions. The firm had undertaken the manufacture of Chewing gum and chiklets in terms of the facility allowed under the above diversification policy announced by the Government.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल पम्पों की स्थापना

2154. श्री विभूति मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल पम्प और डीजल और पेट्रोल बेचने की दुकानें नगरीय क्षेत्रों में ही स्थापित करती रही हैं;

(ख) क्या इस कार्य को केवल धनी लोगों को ही दिया जाता है;

(ग) क्या बिहार में चम्पारन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ से पेट्रोल और डीजल, की बिकी बड़ी मात्रा में की जा सकती है कोई पेट्रोल पम्प/डीजल और पेट्रोल बेचने वाली दुकानें स्थापित नहीं की गई हैं; और

(घ) क्या इस मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी मासी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) बिहार के चम्पारन जिले में सरकारी क्षेत्र को तेल कम्पनियों के फुटकर बिकी के कुल 13 पम्प हैं। उनमें से 9 पम्प मुख्य रूप से ग्रामीण मांगों को पूरा करते हैं।

(घ) जी नहीं।

न्यायाधीशों और वकीलों का रहन सहन का स्तर

2155. श्री विभूति मिश्र : क्या विभिन्न न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय की बनावट तथा न्यायाधीशों और वकीलों का रहन सहन वर्तमान भारतीय गरीबी तथा भारतीय परम्पराओं के खिलाफ है;

(ख) क्या योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत से अधिक लोगों की मासिक आय 40 परे है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय आम वर्ग के लोगों के कितने मामले उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं और क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इन लोगों को किस प्रकार न्याय मिल सकता है?

विभिन्न न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय संविधान के उपवंशों के अनुमार स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के बेतन भी संविधान में निर्धारित हैं। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का जीवन-स्तर उनकी मासिक आय के अनुरूप होता है, न कि जनता की सामान्य आर्थिक दशा के अनुरूप।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मुकदमा लड़ने वाले की मासिक आय संबंधी आंकड़े नहीं रखते हैं। गरीबों को कानूनी सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।